रजिस्टर्ड/ईमेल/अतिमहत्वपूर्ण/कोर्टकेस/परिपत्र
मुख्य सचिव महोदय आदेश

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त उप निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– /स्था0शा0/कोर्टकेस/परिपत्र दिनांक– 5/3/ 2019

विषय– रिट याचिका संख्या–3928 (एम0बी0)/2019 राजीव मिश्रा बनाम राज्य सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 07.02.2019 को दिये गये आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन (कार्मिक अनुभाग–4) के पत्र संख्या–2–ई.एम.2009/2019–का–4–2019 दिनांक 13.02.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी–पुरानी पेंशन बहाली मंच, उ0प्र0 द्वारा आयोजित हड़ताल के विरूद्ध दायर रिट याचिका संख्या–3928 (एम.बी./2019 राजीव मिश्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2019 के अनुपालनम में उक्त रिट याचिका के प्रस्तर–26 तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तरों को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा साथ ही कर्मचारियों की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई कर उनके निराकरण के संबंध में सक्षम स्तर से तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2019 के प्रस्तर–26 में निम्नवत आदेश पारित किये जाने का उल्लेख उक्त शासनादेश में किया गया हैं :–

(i). The strike call declared by the respondent no.5 is declared illegal. The respondent no.5 and any other Employees Union of the State Government are prohibited from resorting to any strike.

(ii) The State Government shall create an Institutional avenue for discussion and redressal of the grievance of the employees.

(iii) The State Government shall take disciplinary action as per the Service Rules against the employees, who have gone on strike pursuant to the strike call. The progress of the disciplinary action shall be intimated to the Court by an Affidavit filed on behalf of State within a period of one month from today.

(iv) The places where the employees are proposing to go on strike or 'Dharnas' shall be video recorded and the actions, demonstrations of striking employees shall also be video recorded.

(v) The attendance of the employees shall be made compulsory and it shall be attested on daily basis by a senior officer of the concerned department.

अतः उक्त पत्र दिनांक 13.02.2019 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 13.02.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का स्वयं के स्तर से सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करायें।

कृपया उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी उक्तानुसार अनुपालन हेतु अवगत कराते हुये निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

पत्र संख्या– 786 /स्था0शा0/कोर्ट केस दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.02.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगणों को उक्त संदर्भ में उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र एवं शासनादेश दिनांक 13.02.2019 की प्रतियां अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

२०/स्था० शा०
२०/०२/१९
8/2108

महत्वपूर्ण / कोर्ट केस
संख्या–2–ई.एम.2009 / 2019–का–4–2019

प्रेषक,

डा.अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरि0 पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–4 **लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2019**

विषयः– रिट याचिका संख्या–3928 (एम.बी) / 2019 राजीव मिश्रा बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 07.02.2019 को दिये गये आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी–पुरानी पेंशन बहाली मंच, उ0 प्र0 द्वारा आयोजित हड़ताल के विरूद्ध दायर रिट याचिका संख्या–3928 (एम.बी) / 2019 राजीव मिश्रा बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2019 के प्रस्तर–26 में निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

(i). The strike call declared by the respondent no.5 is declared illegal. The respondent no.5 and any other Employees Union of the State Government are prohibited from resorting to any strike.

(ii). The State Government shall create an Institutional avenue for discussion and redressal of the grievance of the employees.

(iii). The State Government shall take disciplinary action as per the Service Rules against the employees, who have gone on strike pursuant to the strike call. The progress of the disciplinary action shall be intimated to the Court by an Affidavit filed on behalf of State within a period of one month from today.

(1)
DD (HQ)

(एस० के० सिंह)

२०.०२.१९ (डा० केदार नाथ)
निदेशक समन्वय (मु०)

(iv) The places where the employees are proposing to go on strike or 'Dharnas' shall be video recorded and the actions, demonstrations of striking employees shall also be video recorded.

(v). The attendance of the employees shall be made compulsory and it shall be attested on daily basis by a senior officer of the concerned department.

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त रिक्ट के प्रस्तर–26 तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तरों को दृष्टिगत रखते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, तथा साथ ही कर्मचारियों की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई कर, उनके निराकरण के संबंध में सक्षम स्तर से तत्काल कार्यवाही की जाए। रिट याचिका की प्रति संलग्न है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–2–ई.एम.2009/2019–का–4–2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें, तथा साथ ही कर्मचारियों की शिकायतों/समस्याओं की सुनवाई कर, उनके निराकरण के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाए।
2. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव